



कार्यालय कलेक्टर, जिला कार्यालय सुकमा (छ0ग0)

phone-07864284001, fax-07864-284002, Email-dmsukma@gmail.com

// अनापत्ति प्रमाण-पत्र //

क्रमांक / 2629 / क / वाचक / 2022

सुकमा, दिनांक 22/12/2022

महाप्रबंधक, (कार्पो अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्राइवेट लिमिटेड रायपुर छ0ग0 द्वारा सुकमा वनमंडल अंतर्गत मुख्य मार्गों के समानांतर जियो 4जी टेलीकॉम सुविधा प्रदान किये जाने हेतु वनभूमि पर भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित होने वाले राजस्व वनभूमि रकबा 1.215 हे0 को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन (गैर वानिकी प्रयोजन) हेतु ग्रामवार राजस्व वनभूमि की अनापत्ति प्रमाण पत्र मांग की गई है, जिसका भू-प्रत्यावर्तन उल्लेखित किया गया है जो निम्नानुसार है:-

राजस्व वनभूमि (छोटे/बड़े झाड़ के जंगल/निस्तारी वन)

क्र.	मार्ग विवरण	ग्राम	ख.नं.	वन प्रकार	व्यपवर्तित होने वाली वनभूमि (हे.में)	लंबाई (कि.मी.)	वन पट्टाधारी का नाम	रकबा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	तोंगपाल-सुकमा तोंगपाल-छन्दगढ़	पेरमारास	126/1	निस्तारी वन	0.024	0.480	—	—
2			103/2	— " —	0.015	0.300	—	—
3		कावराकोपा	71	— " —	0.012	0.240	—	—
4			84	— " —	0.002	0.040	—	—
5		पालेम	87	— " —	0.008	0.160	—	—
6		कुकानार	1333/1	बड़े झाड़ के जंगल	0.059	1.180	—	—
7		तोंगपाल	162	निस्तारी वन	0.014	0.280	लखमू पिता चित्तू	0.405
8		तोंगपाल	161/1	— " —	0.004	0.080	—	—
9		तोंगपाल	276/1	— " —	0.001	0.020	डेगा पिता हांदा	0.405
10		लेदा	626	— " —	0.018	0.360	—	—
11		लेदा	634/1	— " —	0.018	0.360	—	—
12			635	— " —	0.009	0.180	—	—
13		कोकालपाल	245	— " —	0.034	0.680	—	—
14			251	— " —	0.005	0.100	—	—
15		सौतनार	1013	बड़े झाड़ के जंगल	0.009	0.180	—	—
16		कोडरीपाल	1008	— " —	0.034	0.680	—	—
17		कोकावाड़ा	1040	— " —	0.036	0.720	—	—
18			1059	— " —	0.029	0.580	चैतू पिता लखमा	0.080
19		कोडरीपाल	1075	— " —	0.047	0.940	—	—

20		कोकावाड़ा	538	---"---	0.006	0.120	—	—
21		कोकावाड़ा	550	---"---	0.006	0.120	—	—
22		पुसपाल	26	निस्तारी वन	0.015	0.300	पूनराम, सोमारू, आयतू	0.250
23		किन्दरवाड़ा	483 / 1	---"---	0.010	0.200	—	—
24			530	---"---	0.023	0.460	—	—
25		गुडरा	183	---"---	0.011	0.220	—	—
26			213	---"---	0.005	0.100	—	—
27			555	---"---	0.018	0.360	—	—
28		धोबनपाल	425	---"---	0.012	0.240	—	—
29			516	---"---	0.016	0.320	—	—
30			511	---"---	0.013	0.260	—	—
31			95	---"---	0.007	0.140	—	—
32	मोखपाल—	रामपुरम	356	निस्तारी वन	0.002	0.040	—	—
33	सुकमा		269	---"---	0.003	0.060	—	—
34		बोरगुडा	733	निस्तारी वन	0.014	0.280	—	—
35			771	---"---	0.007	0.140	—	—
36			773	---"---	0.005	0.100	—	—
37	सुकमा—		839 / 1	---"---	0.024	0.480	—	—
38	दोरनापाल		833	---"---	0.002	0.040	—	—
39			827	---"---	0.019	0.380	—	—
40		रामाराम	109	---"---	0.030	0.600	—	—
41			146	---"---	0.012	0.240	—	—
42	मोखपाल—	मुरतोण्डा	978	---"---	0.005	0.100	—	—
43	सुकमा		985	---"---	0.006	0.120	—	—
44			734	---"---	0.012	0.240	—	—
45		दुब्बाटेटा	1276	---"---	0.011	0.220	—	—
46			1281		0.014	0.280	—	—
47	सुकमा—दोर		1312		0.011	0.220	—	—
48	नापाल		1323		0.005	0.100	—	—
49			1334		0.015	0.300	—	—
50		कामापेदाग	388		0.018	0.360	—	—
51			169		0.002	0.040	—	—
52		पेँटा	129		0.001	0.020	—	—
53			129		0.003	0.060	—	—
54			143		0.004	0.080	—	—
55			151		0.001	0.020	—	—
56			151		0.002	0.040	—	—
57			167		0.001	0.020	—	—
58			167		0.002	0.040	—	—

59			143		0.002	0.040	--	--
60			143		0.013	0.260	--	--
61		मनीकोटा	148		0.005	0.100	--	--
62			148		0.004	0.080	--	--
63			158		0.017	0.340	--	--
64			168		0.007	0.140	--	--
65			166		0.004	0.080	--	--
66	दोरनापाल- कोटा	मनीकोटा	500		0.016	0.320	--	--
67			513		0.021	0.420	--	--
68			514		0.017	0.340	--	--
69			189		0.005	0.100	--	--
70		बिरला	290 / 1	राजस्व वनभूमि	0.016	0.320	--	--
71			307		0.002	0.040	--	--
72	दोरनापाल- कोटा		306		0.064	1.280	--	--
73		राजपेंटा	102		0.009	0.180	--	--
74			108		0.009	0.180	--	--
75		पेदाकिसोली	89		0.006	0.120	--	--
76		फंदीगुडा	266		0.011	0.220	--	--
77		चिंतागुफा	115		0.017	0.340	--	--
78		तेमेलवाड़ा	200		0.024	0.480	--	--
79			165		0.007	0.140	--	--
80	चिंतागुफा- दोरनापाल	पुसवाड़ा	415		0.027	0.540	--	--
81			412		0.021	0.420	--	--
82			444		0.013	0.260	--	--
83		पोलमपल्ली	232		0.025	0.500	--	--
84			195		0.022	0.440	--	--
85			123		0.016	0.320	--	--
86			126		0.004	0.080	--	--
87			128		0.022	0.440	--	--
88	चिंतागुफा- दोरनापाल	गोरगुडा	135		0.015	0.300	--	--
89			368		0.006	0.120	--	--
90			357		0.013	0.260	--	--
91			170		0.004	0.080	--	--
	राजस्व वनभूमि (हेक्टेयर में)				1.215	--	--	--

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित भूमि राजस्व वनभूमि के मद में दर्ज है जिस पर वनसंरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है। अतएव उक्त भूमि का गैर-वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने के संबंध में विधिवत वन विभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही कि जाना आवश्यक होगा। यदि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू-प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है एवं आवेदक फर्म/संस्था द्वारा आस्टिकल फायवर केवल विछाने हेतु प्रस्तावित मुख्य मार्गों में स्थित धार्मिक व सामाजिक विन्यास एवं किसी भी शासकीय व निजी परिसंपत्तियों को प्रभावित नहीं किया जाता है तो इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

01. भूमि का उपयोग केवल निर्धारित प्रयोजन-ऑप्टिकल फायबर केवल बिछाने हेतु किया जावे। यदि अनापत्ति प्रमाण में उल्लेखित प्रयोजन के बदले अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग संदर्भित फर्म/संस्था द्वारा भविष्य में किया जाता है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
02. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र द्वारा आवेदक फर्म/संस्था को राजस्व विभाग के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होगा तथा ऑप्टिकल फायबर केवल बिछाने हेतु संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।
03. ऑप्टिकल फायबर केवल बिछाये जाने से किसी परिसंपत्ति की क्षति होती है तो आवेदित फर्म/संस्था उसे पूर्व की भांति स्थापित करेगी।
04. ऑप्टिकल फायबर केवल बिछाने में प्रभावित होने वाले वृक्षों को किसी भी प्रकार की क्षति या काटे जाने की अनुमति नहीं होगी।
05. ऑप्टिकल फायबर केवल बिछाने हेतु किये जाने कार्य के लिए जिन विभागों की संपत्ति अथवा जमीन से लगा हुआ कोई स्ट्रक्चर प्रभावित होती है तो संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा एवं विभाग प्रमुख/प्रतिनिधि के समक्ष कार्यवाही करनी होगी।
06. ऑप्टिकल फायबर केवल बिछाये जाने हेतु वनाधिकार पट्टा वितरित खसरे में शेष भूमि पर आवेदित फर्म/संस्था द्वारा मांग की गई उतनी ही भूमि पर उपयोग किया जा सकेगा।
07. ऑप्टिकल फायबर केवल बिछाने के समय किसी भी प्रकार की हानि के भुगतान की संपूर्ण जवाबदेही आवेदित फर्म की होगी।

उपरोक्तानुसार किसी भी शर्तों की अवहेलना पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निस्तर कर दिया जावेगा। उपरोक्त भूमि के व्यपवर्तन वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत गैर-वानिकी प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन की कार्यवाही विधिवत की जाती है तो उपरोक्त भूमि के उपयोग किये जाने पर इस विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अतः उपरोक्त भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

[Signature]
कलेक्टर,

जिला सुकमा (छोगो)
सुकमा, दिनांक 22/12/2022

पृ. क्रमांक/2629-A
प्रतिलिपि : /क/वाचक/2022

1. वनमंडलाधिकारी वनमंडल सुकमा को सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) सुकमा/कोण्टा को सूचनार्थ।
3. जनरल मैनेजर (कार्पो.अफेयर्स) रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

[Signature]
कलेक्टर,
जिला सुकमा (छोगो)